विशेष दांडिक प्रकरण कमांक–193/2025 ***"छ.ग. शासन विरूद्ध रूपिन्दर सिंग व अन्य"***

Witness No. . 01 ..... for- अभियोजन .... Deposition taken

the ..... –30/07/2026– . day -- गुरूवार –. Witness's apparent age .–47 वर्ष...

States on affirmation -शपथपूर्वक..... my name is – देवी प्रसाद साहू

s/o – श्री मनहरण साहू Occupation – आरक्षक क्र. 2605

address :- यातायात मुख्यालय रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्रीमती स्वाति शर्मा विशेष लोक अभियोजक वास्ते राज्य

01. मैं थाना कबीर नगर रायपुर में वर्ष 2024 से जनवरी 2026 तक आरक्षक के पद पर पदस्थ था।

02.दिनांक 17.09.2025 को प्रकरण के विवेचक सहायक उपनिरीक्षक घनश्याम साहू द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा मादक पदार्थ के 6 सैम्पल को थाने से प्राप्त कर एफएसएल कार्यालय रायपुर रासायनिक परीक्षण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ड्राफ्ट सहित लेकर कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त कर वापस थाना आया था।

03. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ड्राफ्ट **प्रदर्श पी. 1** एवं **प्रदर्श पी. 2** है एवं पावती **प्रदर्श पी. 3** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

04. मुझे उक्त कार्य हेतु कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था जो **प्रदर्श पी. 4** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अमीन खान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त नौशाद, तौहिद एवं अरबाज

05. कुछ नहीं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा सुश्री नूर अफरोज अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त विजय मोटवानी

06. कुछ नहीं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा सुश्री रानी देवांगन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त मुकेश वर्मा

07. कुछ नहीं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सितेन्द्र राणा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रूपिन्दर सिंग, कंवलजीत एवं जसनदीप

08. यह कहना सही है कि कर्तव्य प्रमाण पत्र **प्रदर्श पी. 4** के मुख्य भाग एवं पृष्ठ भाग (अगले एवं पिछले भाग) पर लिखी गई इबारत एक ही हस्तलिपि में है।

09. यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी. 4** के दस्तावेज के अनुसार दो प्रकरणों का सैम्पल पैकेट ले जाया जाना उल्लेखित है। यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी. 4** के दस्तावेज के अनुसार किस प्रकरण के संबंध में कितने सैम्पल पैकेट लेकर गया था इसका उल्लेख नहीं है।

10. यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी. 4** के दस्तावेज के अनुसार अपराध कमांक 190/25 एवं अपराध कमांक 183/25 से संबंधित मादक पदार्थ हेरोईन ले जाना उल्लेखित है।

11. यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी. 4** के दस्तावेज के अनुसार हेरोईन के अलावा कोई अन्य मादक पदार्थ जैसे अफीम के सैम्पल ले जाना उल्लेखित नहीं है।

12. यह कहना गलत है कि हमारे विभागीय प्रभाव के चलते **प्रदर्श पी. 3** का दस्तावेज एफएसएल से कूट रचित तैयार करवाया गया है। यह कहना गलत है कि मैं इस प्रकरण के संबंध में कोई भी सैम्पल पैकेट एफएसएल रायपुर में जमा नहीं कराया है।

13. यह कहना सही है कि **प्रदर्श पी. 4** के अनुसार अपराध कमांक 190/25 से संबंधित कथित सैम्पल सीलबंद अवस्था में थे का उल्लेख नहीं है।

14. यह कहना गलत है कि मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी के कहने पर आज न्यायालय के समक्ष झूठा कथन कर रहा हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री फैसल रिजवी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त मोहम्मद खान</u>

15. कुछ नहीं।

गवाह को पढकर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया।

सही/–

(शैलेश शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस)
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/–

(शैलेश शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस)
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी के हस्ताक्षर ....